

## कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर

पत्रांक: C-116

/67/मनरेगा-सेल/2016-17

दिनांक: 14 अप्रैल, 2016

### -:कार्यालय आदेश:-

**विषय:-** मनरेगा योजना के अन्तर्गत "मत्स्य पालन" हेतु तालाबों को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के क्रम में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी नवीनतम मार्ग निर्देश 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का पृष्ठ संख्या 55 एवं 56 में कार्य और उनका निष्पादन के अन्तर्गत बिन्दु (xii) द्वारा मत्स्यपालन संबंधी कार्य जैसे कि सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मछली पालन कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु जनपद की समस्त विकास खण्डों में प्रति विकास खण्ड 10 तालाब (जनपद में 150 तालाब) में ग्राम सभा के तालाब का विकास करते हुए लगभग 319950 मानव दिवसों का सृजन किया जायेगा। अतः उक्त के क्रम में ग्राम पंचायतों में मत्स्य पालन हेतु तालाबों को सुदृढ़ किये जाने हेतु विकास खण्डवार लक्ष्य निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विकास खण्ड	कुल लक्षित तालाबों की संख्या
1	बण्डा	10
2	भावलखेड़ा	10
3	ददरौल	10
4	कॉट	10
5	मदनापुर	10
6	जलालाबाद	10
7	मिर्जापुर	10
8	कलान	10
9	खुटार	10
10	पुर्वैया	10
11	सिंधौली	10
12	निगोही	10
13	जैतीपुर	10
14	कटरा खुदागंज	10
15	तिलहर	10
<b>योग</b>		<b>150</b>

2- खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड में तैनात अवर अभियंता/तकनीकी सहायकों से स्थलीय स्थिति के अनुसार सहायक अभियंता, डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा तैयार किये गये संलग्न मॉडल प्राक्कलन (समतल भूमि के आधार पर तैयार) के आधार पर आंगणन सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति सहित तैयार कराकर तथा ग्राम पंचायतों की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए उपायुक्त (श्रम रोजगार) को आंगणन की एक प्रति दिनांक 30.04.2016 तक उपलब्ध कराते हुए योजना का क्रियान्वयन करायेगें। यह कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत जारी दिशा निर्देश 2013 के चतुर्थ संस्करण के पैरा 7.1.3 भाग (xii) के रूप में सम्मिलित तथा अनुमन्य कार्यों की सूची में है।

3- इस कार्यक्रम के जनपद स्तर पर उपायुक्त (श्रम रोजगार) नोडल अधिकारी होंगें, जो खण्ड विकास अधिकारियों से योजना के समन्वय का कार्य करेंगें।

4- सभी कार्यों पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य चलते समय तथा कार्य समाप्त होने के बाद के स्थायी बेंच मार्क के साथ फोटो ग्राफ लिये जायेंगें।

5- सभी कार्यों पर योजना के मार्ग निर्देशानुसार सक्षम स्तर की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियों नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

6- सहायक निदेशक, मत्स्य, शाहजहाँपुर चयनित सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रधानों, पंचायत सचिवों, रोजगार सेवकों तथा मछली विभाग के फील्ड कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करायेगें, जिसमें इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए अपने मार्ग निर्देशन में मछली पालन करने हेतु प्रशिक्षित करेंगें।

